2019 भारत के लिए अभी तक का सातवां सबसे गर्म वर्ष रहा। इसकी घोषणा भारतीय मौसम विभाग ने की है। वहीं, यूरोपीय मौसम एजेंसी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ने यूरोप के लिए इसे दूसरा सबसे गर्म वर्ष बताया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 14 जनवरी 2020

बढ़ जाएंगे अधिकार ▸ पुलिस आयुक्त मंजूर कर सकेंगे पैरोल भी, लागू कर सकेंगे धारा 144

जेल में छापा भी मार सकेंगे पुलिस आयुक्त

रास्ते के विवाद में अब पुलिस का आदेश होगा निर्णायक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही पुलिस के अधिकारों का दायरा भी बड़ा हो जाएगा। हालांकि मुंबई, कोलकता व दिल्ली में लागू कमिश्नर प्रणाली की भांति अब भी प्रदेश में पुलिस के पास आबकारी लाइसेंस, सराय एक्ट व चलचित्र अधिनियम के तहत लाइसेंस देने का अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार मजिस्ट्रेट के पास ही सुरक्षित रहेगा। बताया गया कि जब इन अधिकारों को लेकर चर्चा छिड़ी तो आइपीएस अधिकारियों ने इन्हें हासिल करने के लिए ज्यादा जोर भी नहीं लगाया। लंबे समय से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कराने के लिए कसरत कर रहे आइपीएस अधिकारी इस बार यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इन मुद्दों पर उन्होंने रणनीति के तहत खामोशी को चुना। आइएएस अधिकारी भी सारे अधिकार अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाह रहे थे। भले ही आइएएस अधिकारियों ने कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन लाइसेंस देने के प्रमुख अधिकारों को लेकर उन्होंने अपने सभी दांव जरूर चले।

दंड प्रकिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पुलिस को धारा 107/116 के तहत किसी को पाबंद करने के साथ-साथ रास्ते के विवाद में आदेश देकर उसे खाली कराने का अधिकार भी होगा। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस धारा -144 लागू करने के साथ ही शांतिभंग करने की आशंका में किसी व्यक्ति का धारा-151 के तहत चालान करने के साथ ही एसडीएम की तरह उसे सुनवाई कर आरोपित को जेल भेजने अथवा जमानत पर छोड़ने का अधिकार पुलिस के पास होगा। कारागार में अब चेकिंग करने का अधिकार भी पुलिस आयुक्त के पास होगा। अब तक जेलों में डीएम के साथ ही एसएसपी/एसपी निरीक्षण करने जाया करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त के पास किसी बंदी की सात-आठ दिनों की पैरोल मंजूर करने का अधिकार भी होगा। पुलिस कमिश्नर के पास अब विष से जुड़े मामलों, अनैतिक देह व्यापार, विस्फोटक पदार्थों से जुड़े मामलों से लेकर पशु क्रूरता के मामलों में भी कार्रवाई करने की शक्ति होगी।

शस्त्र अधिनियम के अधिकार को लेकर छिड़ सकती है जंग : पुलिस आयुक्त के परिभाषित अधिकारों में एनएसए के तहत कार्रवाई करने का अधिकार निहित है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार इसी प्रकार पुलिस आयुक्त को शस्त्र अधिनियम के तहत लाइसेंस देने का अधिकार भी है। उत्तर प्रदेश में इस नई प्रणाली को लागू किए जाने के बाद शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने के अधिकार को लेकर अभी आइएएस व आइपीएस संवर्ग के बीच खींचतान जरूर देखने को मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि शस्त्र अधिनियम, सरांय एक्ट, आबकारी अधिनियम, चलचित्र अधिनियम, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट समेत कई अधिकार डीएम के पास ही रहेंगे।

होमगार्ड पर निर्णय शेष : दिल्ली में होमगार्ड विभाग पर पुलिस कमिश्नर का नियंत्रण है। उत्तर प्रदेश में अभी इसे लेकर चर्चा नहीं हो सकी है। यहां होमगार्ड पर नियंत्रण अभी डीएम का ही रहेगा।

अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं : पुलिस आयुक्त प्रणाली के लिए सरकार ने आइपीएस व पीपीएस संवर्ग के आवश्यक पदों को समायोजन से भरे जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अन्य संसाधनों को वर्तमान में उपलब्ध बजट से ही पूरा किया जाएगा। बताया गया कि लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से विभाग पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

ये नई शक्तियां मिलीं

- पुलिस लागू कर सकेगी धारा 144। दंड प्रकिया संहिता की धारा 58 व अध्याय आठ (शांति और सदाचार के लिए) और अध्याय 10 (लोक व्यवस्था व शांति बनाए रखना) में परिभाषित मजिस्ट्रेट की कार्यशक्तियां होंगी।
- उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उप्र अधिनियम संख्या आठ वर्ष 1971) के विधिक अधिकार होंगे।
- विष अधिनियम-1919 के विधिक अधिकार होंगे।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956 के विधिक अधिकार होंगे।
- पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम-1922 के विधिक अधिकार होंगे।
- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के विधिक अधिकार होंगे।
- विस्फोटक अधिनियम-1844 के विधिक अधिकार होंगे।
- कारागार अधिनियम-1894 के विधिक अधिकारी होंगे।
- सरकारी गोपनीय अधिनियम-1923 के विधिक अधिकार होंगे।
- विदेशी अधिनियम-1946 के विधिक अधिकार होंगे।
- गौर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1967 के विधिक अधिकार होंगे।
- भारतीय पुलिस अधिनियम-1861 के विधिक अधिकार दिए जाएंगे।
- उप्र अग्निशमन सेवा अधिनियम-1944 के विधिक अधिकार दिए जाएंगे।
- उप्र अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005 के विधिक अधिकार दिए जाएंगे।
- उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के विधिक अधिकार दिए जाएंगे।

महिला सुरक्षा का जिम्मा महिला आइपीएस को

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने में सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान महिला सुरक्षा पर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश, उनके साथ होने वाली घटनाओं में समयबद्ध विवेचना, आरोपपत्र दाखिल किए जाने से लेकर प्रभावी अभियोजन के जरिए समय से आरोपितों को सजा दिलाने के इरादे से महिला आइपीएस अधिकारी को विशेष रूप से तैनात किया जाएगा। लखनऊ व नोएडा में महिला सुरक्षा के लिए एसपी स्तर की महिला अधिकारी व उनके अधीन एएसपी स्तर की एक महिला अधिकारी की तैनाती होगी।

उप्र में सभी 'कवाल टाउन्स' में होने चाहिए पुलिस आयुक्त

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

▸ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एमएन सिंह ने कहा, केवल नोएडा और लखनऊ तक ही न सीमित हो यह व्यवस्था

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एमएन सिंह। फाइल

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त एमएन सिंह का मानना है कि सिर्फ नोएडा और लखनऊ में ही नहीं, बल्कि उप्र के चार-पांच अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होनी चाहिए। कानून-व्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। करीब ढाई साल तक मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे एमएन सिंह उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के दो शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत को सकारात्मक कदम बताते हुए वह कहते हैं कि कानपुर, इलाहाबाद (अब प्रयागराज), वाराणसी, आगरा और लखनऊ को मिलाकर कहे जानेवाले 'कवाल टाउन्स' में लंबे समय से पुलिस आयुक्त प्रणाली की जरूरत महसूस की जाती रही है। अब तो गोरखपुर और मेरठ जैसे शहर भी इसी श्रेणी में आ चुके हैं, जहां यह प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

बता दें कि मुंबई पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करनेवाला देश का दूसरा सबसे पुराना महानगर है। कलकत्ता (अब कोलकाता) में यह प्रणाली 1856 में लागू हुई, तो मुंबई में 1864 में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा आयुक्त प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। यहां अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) स्तर के दो अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुंबई में एमएन सिंह सहित कुछ और पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के रह चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र के ही पुणे, नागपुर और ठाणे में एडीजी रैंक के और नई मुंबई और नासिक में आइजी और एडीजी रैंक के अधिकारी ही यह पद संभालते हैं।

पुलिस आयुक्त प्रणाली एक आवश्यक व्यवस्था

सिंह का मानना है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों या महानगरों के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली एक आवश्यक व्यवस्था है। वजह, इन शहरों में इनकी अपनी आबादी के अलावा बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं, पर्यटक आते हैं, और व्यावसायिक गतिविधियां चलती हैं। जिसके कारण इन शहरों की कानून-व्यवस्था में त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है। पुलिस और जिला प्रशासन की द्विध्रुवीय प्रणाली में ये निर्णय अक्सर लटकते रहते हैं।

न्यूज गैलरी

मप्र के श्रम मंत्री बोले- मैं सिंधिया का चमचा हूं

अशोक नगर: मध्य प्रदेश के श्रममंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूं। साथ ही सवाल किया कि इसमें गलत क्या है। साथ ही पूछा-कल तक गुना सांसद डॉ. केपी यादव स्वयं सिंधिया के वाहन के पीछे नही दौड़ते थे क्या? सिसोदिया बोले-उन्होंने मुझे टिकट दिया। मेरा जीवन संवारा। मुझे मंत्री बनाया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े व्यक्ति का चमचा हूं और जीवन पर्यंत रहूंगा। राजनीति छोड़ दूंगा, परंतु सिंधिया को नहीं छोडूंगा। श्रम मंत्री ने यह बात सांसद केपी यादव द्वारा पिछले दिनों दिए गए एक भाषण के दौरान बोले गए गुलाम शब्द पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। (नईदुनिया)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी गहलोत सरकार

जयपुर: राजस्थान का उच्च शिक्षा विभाग सरकारी भर्तियों और विभिन्न उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को तैयार करेगा। इसके लिए विशेष कोचिंग पर फोकस किया गया है। सरकार के कॉलेज शिक्षा आयुक्त खुद इसकी पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए 'कमिश्नर की क्लास' का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत यू-ट्यूब चैनल बना कर उस पर करीब ढाई सौ घंटे का कंटेंट अपलोड गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करीब 60 हजार विद्यार्थी इस निशुल्क कोचिंग का फायदा उठा रहे हैं। (राब्यू)

उत्तराखंड में एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगी पेंशन

देहरादून : उत्तराखंड सरकार राज्य में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए पेंशन योजना ला रही है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निर्देश पर विभाग मसौदा तैयार कर रहा है। इसमें एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को छह हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं देने पर भी विचार हो रहा है। अब जल्द ही यह मसौदा कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। उत्तराखंड में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं की संख्या 11 है। महिला सशक्तीकरण राज्यमंत्री के निर्देश पर विभाग इन पीड़िताओं को पेंशन देने का मसौदा तैयार कर रहा है। (राब्यू)

सामाजिक गणित साधने को मायावती ने चला ब्राह्मण कार्ड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

मायावती। फाइल

बहुजन समाज पार्टी संगठन में एक बार फिर उलट फेर किया गया। सामाजिक गणित साधने के लिए मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चला है। लोकसभा में दलनेता दानिश अली को हटा सांसद रितेश पांडेय को जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं मलूक नागर को उपनेता बनाया गया है। इस फेरबदल में प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली की कुर्सी सलामत रही।

संगठन में किए बदलाव की जानकारी मायावती ने ट्वीट के जरिये दी। उन्होंने बताया कि बसपा में सामाजिक सामंजस्य बनाने को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा में पार्टी के दलनेता व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एक ही समुदाय के होने के नाते इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। यानी अब लोकसभा में बीएसपी के नेता रितेश पांडेय को और उपनेता मलूक नागर को बना दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मुनकाद अपने इसी पद पर बने रहेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीएसपी के नेता लालजी वर्मा पिछड़े वर्ग से व विधान परिषद में बीएसपी के दलनेता दिनेश चंद्रा दलित वर्ग बने रहेंगे अर्थात यहां कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

ब्राह्मणों पर लगी निगाह : बसपा में दलित ब्राह्मण समीकरण को आजमाया जाता रहा है। रामवीर उपाध्याय के बगावती तेवरों के बाद से प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर युवा सांसद रितेश पांडेय को आगे लाना नया प्रयोग माना जा रहा है। सूत्र बताते है कि ब्राह्मण समाज में भाजपा के प्रति मोह कम होने पर बसपा नजर रखे है। कांग्रेस की ओर ब्राह्मणों का रुझान न हो इसलिए बसपा ने बड़ा बदलाव किया है।

महाराष्ट्र में हंगामे के बाद पीएम मोदी पर किताब वापस लेने का एलान

▸ 'आज के शिवाजी : नरेंद्र मोदी' किताब को शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपमानजनक करार दिया

▸ शिवाजी के वंशज व भाजपा विधायक शिवेंद्रराजे भोसले ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया

मुंबई, प्रेट्र : एक किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति महाराज शिवाजी से किए जाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इस तुलना को अपमानजनक करार दिया है। इस बीच भाजपा ने भी इस विवादास्पद किताब से पल्ला झाड़ते हुए उसे वापस ही ले लिया है।

नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सह प्रभारी संजय मयुख ने इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाते हुए कहा कि भाजपा का 'आज के शिवाजी : नरेंद्र मोदी' नामक पुस्तक के प्रकाशन से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि इस किताब को भाजपा नेता जय भगवान गोयल ने लिखा है। पार्टी नेता ने कहा कि इस किताब में दिए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। उन्होंने बताया कि लेखक जय भगवान गोयल ने भी आपत्तिजनक अंशों को किताब से हटाने की अपील की है। लिहाजा अब इस किताब को ही वापस लिया जा रहा है।

इससे पहले, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में घटक दल कांग्रेस, राकांपा ने भी किताब की आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करने वाली एक पुस्तक प्रकाशित होने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि महान योद्धा के वंशजों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या पीएम मोदी की तुलना उनके साथ किया जाना उचित है? संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज करते हुए कहा कि तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं।

राउत ने कहा कि भाजपा को यह घोषणा करनी चाहिए कि मोदी के छत्रपति शिवाजी के साथ तुलना करने वाली पुस्तक से उसका कोई संबंध नहीं है। राउत ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य संभाजी राजे पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी के वंशजों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पीएम मोदी की उनके साथ तुलना की जा रही है। क्या यह उचित है? छत्रपति शिवाजी के वंशजों को भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए।

इससे पूर्व संभाजी राजे ने रविवार को मांग की कि भाजपा प्रमुख अमित शाह इस पुस्तक पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं, जो भाजपा के दिल्ली कार्यालय से प्रकाशित की गई हैं। वहीं, मराठा शासक के वंशज और भाजपा विधायक शिवेंद्र राजे भोसले ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ चाटुकारों ने पार्टी की छवि के लिए यह समस्या खड़ी कर दी है। मैं अपनी पार्टी के नेताओं से यह अपील करता हूं कि वह ऐसे चाटुकारों पर अंकुश लगाएं। चूंकि यह अपने फायदे के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं।

महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे ने रविवार को पुस्तक में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मोदी की तुलना करके लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए गोयल के खिलाफ नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

कटारिया ने कहा, राज्य नहीं कर रहे नदी जोड़ो परियोजना में सहयोग

औरंगाबाद, प्रेट्र : केंद्र अपनी नदी जोड़ो परियोजना के साथ तैयार है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्य सहयोग नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री रतन सिंह कटारिया ने सोमवार को कहा कि अभी की स्थिति में केंद्र सरकार राज्यों के लिए परियोजना लागू करना अनिवार्य नहीं बना सकती।

कटारिया ने कहा, 'केंद्र सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना पर काम किया है। कई नदियां हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। चार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार है, लेकिन राज्य सरकारें इसपर सहयोग नहीं कर रही हैं। कई राज्य संपर्क किए जाने के बावजूद पानी साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें डर है कि यदि वे इस परियोजना के लिए तैयार हुए तो उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।'

केंद्रीय मंत्री ने नेशनल वाटर मिशन द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित कृषि क्षमता में पानी के बढ़ते इस्तेमाल पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विविधता लाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को कम पानी की जरूरत वाली फसलों की खेती करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, 'फसलों की खेती का फैसला जमीन की भौगोलिक स्थिति के अनुसार लिया जाना और राज्य सरकार को किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।' किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में एक योजना शुरू की गई है। राज्य में धान और गन्ना के अलावा दूसरी फसल का उत्पादन करने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।

कटारिया ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र को अपनी फसल नीति पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। राज्य की 55 फीसद आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन राज्य में केवल 18 फीसद सिंचित भूमि है। कपास और गन्ना पर सबसे ज्यादा पानी खर्च होता और यहां इन फसलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है।

महाराष्ट्र में 'तिपहिया सरकार' का बचाव करने में जुटे उद्धव ठाकरे

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

उद्धव ठाकरे। फाइल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सरकार की अनिश्चितता पर हो रही टिप्पणियों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उनकी 'तिपहिया सरकार' बिल्कुल ठीकठाक चल रही है। उनका मानना है कि किसी भी वाहन की सवारी में उसके पहियों से ज्यादा उसका संतुलन महत्व रखता है।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस के बयान पर पलटवार किया है। फड़नवीस ने महाविकास अघाड़ी सरकार को तीन पहियों की गाड़ी बताया था। उन्होंने सरकार की तुलना ऑटो रिक्शा से करते हुए इसकी स्थिरता पर सवाल उठाया था। इससे एक दिन पहले ही शिवसेनानीत सरकार में मंत्री बनाए गए निर्दलीय विधायक शंकरराव गडाख के पिता यशवंतराव गडाख ने बयान दिया था कि यदि सरकार के सारे मंत्री पद और बंगले के लिए ही लड़ते रहे तो उद्धव ठाकरे तंग आकर इस्तीफा दे देंगे। शिवसेना के ही नेता रहे नारायण राणे ने भी दावा किया है कि शिवसेना के 56 में से 35 विधायक पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट चल रहे हैं।

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उद्धव सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार तबतक मंत्रालय नहीं आए, जबतक उन्हें उनके मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिल गया। शायद यशवंतराव गडाख का इशारा इसी ओर था। देवेंद्र फड़नवीस का बयान भी सरकार में शामिल तीनों दलों की इसी खींचतान को लेकर था। हालांकि, उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को कहीं से कमजोर नहीं दिखाना चाहते। बता दें कि शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा की महाविकास अघाड़ी सरकार ने 28 नवंबर को शपथ ली थी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में उद्धव को एक महीना लग गया। मंत्रिमंडल बंटवारे में भी शिवसेना की जूनियर पार्टनर राकांपा ने बाजी मार ली है। शिवसेना गृह मंत्रालय अपने पास चाहती थी, लेकिन खींचतान में वह भी उसके हाथ नहीं आ सका।

शिवसेना में आंतरिक असंतोष का एक बड़ा कारण जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का असमंजस भी है। शिवसेना के विधायकों को अपने ही कार्यकर्ताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस-राकांपा के कार्यकर्ताओं के साथ हर तरह की लड़ाई लड़ते आ रहे शिवसैनिक अब उनके साथ मन नहीं मिला पा रहे हैं। शिवसेना विधायक अपने कार्यकर्ताओं के इस असंतोष से भविष्य में होनेवाला नुकसान साफ देख रहे हैं, लेकिन अभी वे अपने नेतृत्व के सामने खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। यह असंतोष कब फूट पड़े, कहा नहीं जा सकता।

बिहार में एनआरसी का कोई सवाल ही नहीं : नीतीश

राज्य ब्यूरो, पटना

नीतीश कुमार। फाइल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा कि बिहार में किसी हाल में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लागू नहीं किया जाएगा। इसकी चर्चा केवल असम के संदर्भ में हुई थी, देश के संदर्भ में नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ-साफ बोल दिया है। विधानसभा में संसद द्वारा संविधान के 126वें संशोधन को समर्थन के लिए सोमवार को बुलाए गए विशेष सत्र में नीतीश ने विपक्ष की जातिगत जनगणना कराने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मैं भी चाहता हूं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। यह 1930 में हुई थी। उसके बाद नहीं हुई। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में राजीव गांधी की सरकार के समय असम के संदर्भ में एनआरसी की बात आई थी। देशव्यापी एनआरसी की कोई बात नहीं थी। इसका औचित्य भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना, एनपीआर और नागरिकता कानून पर सदन में विशेष सत्र बुलाकर चर्चा कराने की मांग की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इसपर कोई एतराज नहीं है। हर चीज पर चर्चा होनी चाहिए। अभी उनका पूरा ध्यान 19 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला पर है।

उन्होंने आगे कहा कि एनपीआर 2010 में बना थी। अब कहा जा रहा है कि अन्य चीजों के बारे में भी पूछा जा रहा है। इस पर कुछ भी आधिकारिक रूप से मैं तभी बोलूंगा जब अध्ययन कर लूंगा। किंतु जहां तक जातीय जनगणना पर चर्चा की बात है तो सभी पक्ष अगर सहमत होते हैं तो अगले सत्र में चर्चा भी की जा सकती है।

गहलोत सरकार सांसदों के सहयोग से निपटाएगी केंद्र में लंबित मामले

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार केंद्र सरकार में लंबित प्रदेश से जुड़े मुद्दों के निस्तारण के लिए सांसदों का सहारा लेगी। राज्य के सभी 25 भाजपा सांसदों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लंबित ऐसे मुद्दों की सूची सौंपी जाएगी, जिनका लंबे समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के हिस्से में आने वाले जीएसटी के पांच हजार करोड़ रुपये की राशि का लंबे समय से भुगतान नहीं करना शामिल है। इसके साथ ही मदरसों के संचालन के लिए प्रति वर्ष केंद्र सरकार से मिलने वाले नौ करोड़ रुपये भी अब तक नहीं मिलने का मुद्दा भी शामिल है। इसी तरह राज्य विधानसभा में उन्मादी हिंसा (मॉब लिंचिंग) और ऑनर किलिंग कानून पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी नहीं मिल पाने के मामले में भी सांसदों की मदद लेने की योजना है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के ऊर्जा, वित्त, परिवहन, पर्यटन, कृषि, खान, अल्पसंख्यक मामलात, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, गृह, जलशक्ति और पशुपालन सहित 20 मंत्रालयों से जुड़े करीब 100 मुद्दों की सूची तैयार की है। इनमें सबसे अधिक मुद्दे अंतरराज्यीय जल विवादों को लेकर हैं। इनमें सबसे अहम रावी-व्यास-सतलुज समझौता है। इसमें पाकिस्तान के हिस्से का पानी संरक्षित (स्टोरेज) नहीं होने के कारण बहकर पाकिस्तान चला जाता है। राज्य के जलसंसाधन मंत्री डॉ. बीडी कल्ला का कहना है कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान तो कई बार दिया, लेकिन अब तक इस दिशा में हुआ कुछ भी नहीं।

घाघरा नदी का नाम बदला, अब सरयू कहलाएगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

प्रतीकात्मक

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में गोंडा के पसका सूंकर क्षेत्र स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज (बिहार) तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। घाघरा अंतरराज्यीय नदी है और राष्ट्रीय संपदा भी। संविधान की संघ सूची के क्रमांक-56 पर नदी संबंधी प्रकरण का उल्लेख है। इसलिए घाघरा के नाम परिवर्तन के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद ही घाघरा, सरयू नदी कहलाएगी। योगी सरकार के इस फैसले को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जा रहा है। घाघरा को अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में घाघरा और सरयू भी हैं। घाघरा का उद्गम स्थल लखीमपुर खीरी की धौरहरा तहसील में नेपाल से आने वाली गेरुआ और करनाली नदियों के संगम स्थल है। घाघरा नदी उप्र के लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, आंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, बलिया होते हुए बलिया के दोआबा क्षेत्र के सिताब दियारा क्षेत्र में ग्राम जय प्रकाश नगर में गंगा नदी के बायें तट पर मिलती है। जिसकी लंबाई 1080 किमी है।

धार्मिक महत्व की पौराणिक नदी सरयू भी नेपाल से निकलते हुए बहराइच जिले से होकर गोंडा के पसका सूंकर क्षेत्र में ग्राम चंदापुर किटौली के पास घाघरा नदी में मिलती है। इस मिलन बिंदु से आगे सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र में इस नदी का नाम घाघरा अंकित है। धार्मिक दृष्टि से यह पौराणिक नदी है। शास्त्रों व पुराणों में नदी को अयोध्या में सरयू नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भी कई जिलों में व्यावहारिक दृष्टि और आम बोलचाल की भाषा में घाघरा के नाम से चिह्नित इस नदी को भी सरयू नदी के नाम से जाना जाता है।

हरियाणा में अब मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा सीआइडी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा में सीआइडी (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) की रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी। पिछले दिनों छिड़े विवाद के बाद अब सीआइडी को गृह विभाग से पूरी तरह अलग करने पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव वी. उमाशंकर की अगुआई में ड्राफ्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल की सरकार में ही सीआइडी को मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ दिया गया था, लेकिन कानून में बदलाव नहीं हो सका। ज्यादातर सरकारों में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री ही संभालते रहे, जिससे कानून में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब गृह मंत्री और सीएमओ के बीच सीआइडी को लेकर हुए विवाद के चलते सरकार ने इसका पक्का इंतजाम करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की मुहर के बाद विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश किया जा सकेगा।

दरअसल, पिछले दिनों गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनावों को लेकर दी गई रिपोर्ट सीआइडी चीफ अनिल कुमार राव से तलब की, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। हालांकि राव अपनी रिपोर्ट विज को दे चुके हैं, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थे। विवाद इतना बढ़ा कि राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट के अलावा विधानसभा की साइट पर मुख्यमंत्री व मंत्रियों के विभागों को नए सिरे से अपलोड करना पड़ा।

वेबसाइट पर सीआइडी को सीएम के मातहत दिखाया गया तो विवाद और गहरा गया। विज ने यहां तक कह दिया कि सरकारें बिजनेस ऑफ रूल से चला करती हैं, वेबसाइटों से नहीं। मुख्यमंत्री को भी कई बार स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी।